



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
'प्रकीर्ण वर्ग', देहरादून।


Website-<http://pwd.uk.gov.in>E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांक- 215 / 176सा0प्र0 / 2022

दिनांक- 19 / 03 / 2022

कार्यालय आदेश


इस कार्यालय के आदेश संख्या-163 / 176सा0प्र0 / 2022 दिनांक-21.02.2022 द्वारा शासकीय पत्र सं0-4162 / PS/Sec-MSME/2022 दि0-05.02.2022 के अनुपालन में उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, में पंजीकृत ठेकेदारों की समस्त श्रेणियों (A,B,C,D, एवं E) में सभी कार्यों (मार्ग, भवन, सेतु, विद्युत, यांत्रिक एवं सेनेटरी कार्यों), हेतु पंजीकरण/नवीनीकरण की कार्यवाही दिनांक-01.03.2022 से ऑनलाइन किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। पंजीकरण/नवीनीकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु दिशा निर्देश/मानक संचालन प्रक्रिया संलग्न किया जा रहा है। भविष्य में इन्ही दिशा निर्देशों/मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार ही अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।


(इं0 प्रमोद कुमार)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं जारी S.O.P. की प्रति संलग्नकर उपरोक्तनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता (नियोजन) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता क्षेत्रीय/रा0मा0 लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/पौड़ी/देहरादून/हल्द्वानी।
4. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर-प्रथम/द्वितीय, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता,.....वाँ वृत्त लो0नि0वि0
6. अधिशासी अभियन्ता नियोजन I/II/III एवं प्रकीर्ण वर्ग विभागाध्यक्ष कार्यालय।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता,.....लोक निर्माण विभाग,.....।
8. अधिशासी अभियन्ता,(आई0टी0)विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को उक्त S.O.P को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
10. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी,.....विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।

संलग्न-S.O.P. की प्रति।


प्रभारी प्रमुख अभियन्ता
19-03-22

**उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मार्ग/भवन/सेतु /सेनेटरी /विद्युत अथवा यांत्रिक कार्यों हेतु
ठेकेदारों की श्रेणी A/B/C/D अथवा E श्रेणी में पंजीकरण हेतु दिशा निर्देश/S.O.P.**

1. **आवेदन पत्र**— नये पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु ठेकेदार/फर्म/कम्पनी के द्वारा Invest Uttarakhand की वेबसाइट [https:// investuttarakhand.com](https://investuttarakhand.com) पर आनलाइन आवेदन किया जायेगा।
2. एकल ठेकेदार/साझीदार फर्म/लिमिटेड कम्पनी का Appendix 'A' में दी गयी धनराशि के कार्यों हेतु पंजीकरण किये जायेंगे।

Appendix 'A'

क्र. स.	पंजीकरण की श्रेणी	संशोधित लागत सीमा शासनादेश सं०-244(1) /XXXVII(7)/32/2007 TC दिनांक-08.10.2021 के अनुसार
1	2	3
1	श्रेणी 'क' (Class A)	रु० 3.00 करोड़ से अधिक
2	श्रेणी 'ख' (Class B)	रु० 3.00 करोड़ तक
3	श्रेणी 'ग' (Class C)	रु० 1.50 करोड़ तक
4	श्रेणी 'घ' (Class D)	रु० 75.00 लाख तक
5	श्रेणी 'ई' (Class E)	रु० 20.00 लाख तक (बिना कार्य अनुभव के) (नियमावली विचाराधीन)

3. **पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क** :- सभी श्रेणी में पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क रु० 125/- आनलाइन जमा किया जायेगा।
4. **फोटो**— सभी श्रेणी के पंजीकरण हेतु एकल ठेकेदार/फर्म/कम्पनी के लिए क्रमशः ठेकेदार /फर्म के सभी साझीदारों/कम्पनी के सभी नवीनीतम निदेशकों-द्वारा नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
5. **चरित्र प्रमाण पत्र**— सभी श्रेणी हेतु एकल ठेकेदार/फर्म/कम्पनी के लिए क्रमशः ठेकेदार/फर्म के सभी साझीदारों/कम्पनी के नवीनतम निदेशकों को जिला अधिकारी/उन्के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा निर्गत वैध चरित्र प्रमाण पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
6. **हैसियत प्रमाण पत्र**— शासनादेश संख्या-2504/लो०नि० 1/03-75 (सा०)/2 दिनांक-25.11.2003 के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में पंजीकरण हेतु न्यूनतम आवश्यक हैसियत Appendix 'B' के अनुसार होगी।

Appendix 'B'

क्र.स.	वर्गीकरण	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'
1	भवन	रु० 10.00 लाख	रु० 3.00 लाख	रु० 1.00 लाख	रु० 0.50 लाख
	सेतु	रु० 10.00 लाख	रु० 3.00 लाख	रु० 1.00 लाख	रु० 0.50 लाख
	मार्ग	रु० 10.00 लाख	रु० 3.00 लाख	रु० 1.00 लाख	रु० 0.50 लाख
2	सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	रु० 0.50 लाख	रु० 0.25 लाख	रु० 0.10 लाख	रु० 0.05 लाख
3	विद्युत कार्य	रु० 1.00 लाख	रु० 0.50 लाख	रु० 0.10 लाख	रु० 0.05 लाख
4	यांत्रिक कार्य	रु० 1.00 लाख	रु० 0.50 लाख	रु० 0.10 लाख	रु० 0.05 लाख



एकल/फर्म/कम्पनी हेतु जिला अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हैसियत प्रमाण पत्र अथवा शेड्यूल बैंक द्वारा निर्गत सोल्वेन्सी प्रमाण पत्र, प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हेतु गत वर्ष की C.A. द्वारा आडिटेड एवं सर्टिफाइड (audited and Certified) बैलेंस शीट अथवा शेड्यूल बैंक का सोल्वेन्सी सर्टिफिकेट (Solvency Certificate) पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

7. **आयकर प्रमाण पत्र**— एकल/फर्म/कम्पनी हेतु क्रमशः ठेकेदार/फर्म/कम्पनी के आयकर विभाग द्वारा निर्गत पेन कार्ड अपलोड करना होगा।

8. **जी0एस0टी**— उत्तराखण्ड राज्य का जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करनी होगी।

9. **यंत्र सयंत्र**— Appendix 'D' के अनुसार श्रेणीवार न्यूनतम आवश्यक यंत्र सयंत्रों/मशीन की सूची अपलोड करनी होगी।

Appendix 'D'

Sl NO	Name of equipment	Class A	Class B	Class C
1	Concrete Mixers	2 Nos	1 No	1 No
2	Vibrators	3 Nos (Pin-2 Nos)	2 Nos (Pin-1 No)	1 No
3	Water Pumps.	2 Nos	1 No	-
4	Diesel winches 65 ton capacity (for bridge only)	2 N0	1 No	-
5	Excavator cum Loader (J.C.B)	2 No	1 No	1 No
6	Diesel Generating Sets 25 KW (for bridges only)	1No	-	-
7	Truck/ Tipper	1 No	-	-
8	Road Rollers (for roads only)	2 No	1 No	-

Note: Ordinarily the enlistment shall be for all the three trades, but in case a contractor wants to take a work in a specific trade, he will have to arrange all the T and P required for completion of that trade as categorized above.

Category II : Sanitation and Water Supply:

Equipment as required for proper Completion of work:

Category III : Electrical Works :

Equipment as required for proper completion work, provided always no enlistment shall be made for a person or party who does not hold a valid license from the Chief Electrical Inspector under Indian Electricity Rules for execution of electrical Works, the contractors who hold a valid license of Category 'A' from the Chief Electrical Inspector will be enlisted in 'A' class and those who hold the license of 'B' category will be enlisted in 'B' and 'C' class.

Category IV-I: Mechanical works :

In general the contractors applying enlistment under class 'A' 'B' and 'C' will be required to possess Garrage tools and approved by the Transport Commissioner, Uttarakhand for A, B, and C Type garrages respectively. The authority competent to enlist the contractors, however, have the discretion to make necessary modifications therein.



10 . तकनीकी स्टाफ :- Appendix 'C' के अनुसार तकनीकी स्टाफ आवश्यक है। (शासनादेश संख्या 2611/3(2)/07-75सा0/2000 दिनांक-26.10.2017 के द्वारा संशोधित)

Appendix 'C'

Si NO	Category	Class A	Class B	Class C	Class D
1	Building	One Degree Holder and 2 No Diploma Holder Civil engineering	One Degree Holder 1 No Diploma Holder Civil engineering	One Diploma Holder of Civil engineering	-----
	Bridges	One Degree Holder and 2 No Diploma Holder Civil engineering	One Degree Holder 1 No Diploma Holder Civil engineering	One Diploma Holder of Civil engineering	-----
	Roads	One Degree Holder and 2 No Diploma Holder Civil engineering	One Degree Holder 1 No Diploma Holder Civil engineering	One Diploma Holder of Civil engineering	-----
2	Sanitation and Water Supply	One Degree Holder of Civil engineering & a Licensed plumber	One Diploma Holder of Civil engineering & a Licensed plumber	One Diploma Holder of Civil engineering & a Licensed plumber	-----
3	Electrical Works	One Diploma Holder in Electrical Engineering & a Licensed Electrician	One Licensed Electrician	One Electrician	-----
4	Mechanical Works	One Diploma Holder in Mech. Engineering & a mechanic qualified from I.T.I. or with equivalent qualification	One mechanic qualified from some I.T.I. or with equivalent qualification	One mechanic qualified from some I.T.I. or with equivalent qualification	One mechanic trained in work shop.

तकनीकी स्टाफ के तकनीकी योग्यता सम्बन्धी डिग्री/डिप्लोमा, आधार कार्ड, पेन कार्ड, वेतन स्लिप, मोबाइल नं० एवं शपथ पत्र पर सत्यापित फोटो अपलोड करनी होगी।

11. अनुभव- शासनादेश सं० 2504/लो०नि०-1/03-75(सा०)/2 दिनांक-25.11.2003 के अनुसार पंजीकरण हेतु न्यूनतम राजकीय विभागों के 05 कार्यों के अनुबन्ध सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण किये जाने का अनुभव संशोधित Appendix 'E' के अनुसार जिसके प्रमाण पत्र अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी से कम के न हों।

Appendix 'E'

क्र. स.	वर्गीकरण	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'
1	भवन	रु० 10.00 लाख	रु० 5.00 लाख	रु० 1.00 लाख	रु० 0.25 लाख
	सेतु	रु० 10.00 लाख	रु० 5.00 लाख	रु० 1.00 लाख	रु० 0.25 लाख
	मार्ग	रु० 10.00 लाख	रु० 5.00 लाख	रु० 1.00 लाख	रु० 0.25 लाख
2	सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	रु० 0.25 लाख	रु० 0.10 लाख	रु० 0.05 लाख	-
3	विद्युत कार्य	-	-	-	-
4	यांत्रिक कार्य	रु० 0.25 लाख	रु० 0.05 लाख	रु० 0.02 लाख	-

अनुभव प्रमाण पत्र हेतु प्रारूप एवं उसके सत्यापन हेतु प्रारूप संलग्न है। श्रेणी "डी" में पंजीकरण 02 वर्ष के लिए बिना अनुभव के प्रोविजनली किया जा सकता है।

08 Sa pra



Certificate of Completion of Work

TO WHOM IT MAY CONCERN

- No.....
- 1-Name of Work Date
- 2-Contract Agreement No-----Date
- 3-Contract of PeriodYears.....Months
- 4-Date of Commencement.....
- 5-Contract Completion Date (As per Agreement/EOT).....
- 6-Contract Completion Date (As per actual).....
- 7-Contract Price as Per agreement –Rs.....
- 8-Contract price as per actual (Including Last approved variation) –.....
- 9-Name of Contractor-.....
- 10-Name of Employer-.....
- 11-Name of Executing Agency-.....
- 12-Name of Supervision Consultant (if any)-.....
- 13-Name of Engineer and address -.....
- 14-In case of J.V., Name of Contractors with Percentage- (i).....
(ii).....
- 15-Project Component (Physical & Financial).....As Below.....

PROJECT COMPONENT

Financial Year	Hill Side Cutting		Part II Walling		WBM Including GSB		Bituminous Work		Culvert		Bridge		Total
	Phy. Km	Fin. Lakh	Phy. Km	Fin. Lakh	Phy. Km	Fin. Lakh	Phy. Cum./Sqm	Fin. Lakh	Phy. No./Span	Fin. Lakh	Phy. Span	Fin. Lakh	Fin. Lakh

Remark:- Certified that the works mentioned in above table have been completed satisfactory.

Certified by

Signature With date

Name

Designation & Stamp
(Accountant)
(Concerning Division)

Issuing Officer

Signature with date

Name

Designation & Stamp
(Exccutive Engineer)
(Concerning Division)

अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन

प्रमाणित किया जाता है कि M/S/Shri (Contractor) को निर्गत प्रमाण पत्र जो कि अधिशासी अभियन्ताके कार्यालय पत्रांक.....दिनांक.....द्वारा जारी किया गया है तथा वर्तमान में इस कार्यालय को सत्यापन हेतु प्राप्त हुआ है, में अंकित सूचनाओं/आँकड़ों का पूर्व में जारी मूल प्रमाण पत्र के आधार पर सत्यापन किया जाता है।

प्रमाणित

जारीकर्ता

हस्ताक्षर एवं दिनांक
नाम
पदनाम एवं मुहर
(लेखाधिकारी)
(सम्बन्धित खण्ड)

हस्ताक्षर एवं दिनांक
नाम
पदनाम एवं मुहर
(अधिशासी अभियन्ता)
(सम्बन्धित खण्ड)

- 1—उपरोक्त निर्धारित प्रपत्र के अलावा कोई भी प्रमाण पत्र निविदा व किसी अन्य उद्देश्य के लिए मान्य नहीं होगा।
- 2—प्रमाण पत्र पर “कृते” लिखकर किसी अन्य के हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- 3—प्रमाण पत्र पत्रांक एवं दिनांक के साथ निर्गत होगा जिसकी प्रति सम्बन्धित खण्ड के अभिलेखों में भी संरक्षित रहेगी।
- 4—प्रमाण पत्र केवल खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा ही जारी किया गया मान्य होगा। अधिशासी अभियन्ता के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यदि किसी अन्य द्वारा प्रमाण पत्र किया गया तो वह दण्डनीय होगा।

12. जमानत धनराशि- शासनादेश संख्या-2504/लो0नि0-1/03-75(सा0)/2000 दिनांक-25.11.2003 के अनुसार सभी श्रेणी हेतु संशोधित जमानत की धनराशि Appendix 'H' के अनुसार

Appendix 'H'

क्र. स.	वर्गीकरण	श्रेणी 'ए'	श्रेणी 'बी'	श्रेणी 'सी'	श्रेणी 'डी'
1	भवन	रु0 100000/-प्रमुख अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 30000/-मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 10000/-अधीक्षण अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 5000/- अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बन्धक
	सेतु	रु0 100000/-प्रमुख अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 30000/-मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 10000/-अधीक्षण अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 5000/- अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बन्धक
	मार्ग	रु0 100000/-प्रमुख अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 30000/-मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 10000/-अधीक्षण अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 5000/- अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बन्धक
2	सेनेटरी एवं वाटर सप्लाई	रु0 5000/-मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 2000/-मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 1000/-अधीक्षण अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 500/- अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बन्धक
3	विद्युत कार्य	रु0 20000/-मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 10000/-मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 2000/-अधीक्षण अभियन्ता वि0/यां0 के पक्ष में बन्धक	रु0 1000/- अधिशासी अभियन्ता वि0/यां0 के पक्ष में बन्धक
4	यांत्रिक कार्य	रु0 20000/-मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 10000/-मुख्य अभियन्ता के पक्ष में बन्धक	रु0 2000/-अधीक्षण अभियन्ता वि0/यां0 के पक्ष में बन्धक	रु0 1000/- अधिशासी अभियन्ता वि0/यां0 के पक्ष में बन्धक

जमानत की धनराशि कार्यालय अध्यक्ष के नाम से बन्धक डाकघर की N.S.C/F.D बैंक की F.D.R के रूप में पंजीकरण के 1 माह के अन्दर मूल रूप में सम्बन्धित कार्यालय में जमा करनी होगी अन्यथा की स्थिति में पंजीकरण स्वतः ही निरस्त कर दिया जायेगा।

13. I.T.R- एकल ठेकेदार/साझीदार फर्म/लिमिटेड कम्पनी के द्वारा नवीनतम कर निर्धारण वर्ष का आयकर क्लियरन्स प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

14. पंजीकरण करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी-शासनादेश संख्या:-2504/लो0नि0वि0-1/03-75(सा0)/2000 दिनांक-25.11.2003 के अनुसार संशोधित-Appendix 'G'

Appendix 'G'

Si NO	Category	Class A	Class B	Class C	Class D
1	Building	Engineer in-chief	Chief Engineer of Zones	Superintending Engineer	Executive Engineer
	Bridges	Engineer in-chief	Chief Engineer of Zones	Superintending Engineer	Executive Engineer -
	Roads	Engineer in-chief	Chief Engineer of Zones	Superintending Engineer	Executive Engineer
2	Sanitation and Water Supply	Engineer in-chief	Chief Engineer of Zones	Superintending Engineer	Executive Engineer
3	Electrical Works	Engineer in-chief	Chief Engineer of Zones	Superintending Engineer	Executive Engineer
4	Mechanical Works	Engineer in-chief	Chief Engineer of Zones	Superintending Engineer	Executive Engineer

15. पार्टनरशिप डीड साझीदार - फर्म हेतु नवीनतम् पार्टनरशिप डीड एवं तदानुसार निबन्धन कार्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

16. प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों हेतु- memorandum की प्रति अपलोड करनी होगी।

08 Sa pra

शपथ-पत्र

समक्ष:- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड देहरादून ।

मैं(आयु-.....) पुत्र श्री..... (स्थायी पता)

.....(अस्थायी पता)का
निवासी हूँ । (मोबाइल.....)

मैं शपथपूर्वक निम्न घोषणा करता हूँ ।

1. मैं लोक निर्माण विभाग का ए/बी/सी/डी/इ श्रेणी का पंजीकृत ठेकेदार हूँ/नहीं हूँ ।

(विभाग द्वारा निर्गत श्रेणी सम्बन्धी-पत्र संलग्न किया जाय) मेरे पास पर्याप्त चल और अचल सम्पत्ति है, और व्यावसायिक रूप से मैं लोक निर्माण विभाग के कार्यों को पूरा करने के लिए सक्षम और समर्थ हूँ । मेरे पास आवश्यक मशीनें और उपकरण आदि भी हैं तथा मुझे इन कार्यों का पर्याप्त अनुभव है।

2. लोक निर्माण विभाग मेंश्रेणी में..... कार्य हेतु पंजीकरण के लिए विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन कर रहा हूँ।

3. मेरे द्वारा दिए जा रहे प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र, आयकर प्रमाण-पत्र, जी0एस0टी0 प्रमाण-पत्र जमानत धनराशि सम्बन्धी का प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, तकनीकी स्टाफ के प्रमाण पत्र तथा अन्य सुसंगत प्रपत्र आदि अपलोड कर दिये गये हैं। यदि भविष्य में तकनीकी स्टाफ में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना 01 माह पूर्व मेरे द्वारा विभाग को दी जायेगी।

4. मेरा पैन नं0 है, जो कि मेरें व्यक्तिगत नाम/फर्म के नाम/कम्पनी के नाम से आयकर विभाग द्वारा निर्गत है की फोटोप्रति संलग्न की गयी है।

5. मेरे विरुद्ध पूर्व/वर्तमान में अपराधिक मुकदमों का विवरण निम्न प्रकार है । यहाँ पूरा विवरण दिया जाय ।

1. मुकदमा नं0

2. धारार्यें


3. थाना

4. जनपद

5. न्यायालय (जहाँ मुकदमा चल रहा है)

6. मैं/फर्म का कोई साझीदार/कम्पनी का कोई साझीदार अथवा निदेशक लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड अथवा राज्य सरकार के अन्य विभाग अथवा भारत वर्ष के किसी भी राज्य के अन्य विभागों द्वारा ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों की श्रेणी में नहीं आते हैं। मैं/फर्म का कोई साझीदार/कम्पनी का कोई साझेदार अथवा निदेशक अपराधिक गतिविधियों, माफियां तथा गैंगस्टर गतिविधियों और असमाजिक कार्यों आदि में लिप्त नहीं हूँ /है मेरा/फर्म के सभी साझीदारों/कम्पनी के सभी साझेदारों अथवा निदेशकों का चाल-चलन, कार्य तथा आचरण उत्तम है ।

7. मेरे/फर्म के किसी भी साझीदारों/कम्पनी के हिस्सेदारों अथवा एवं निदेशकों के विरुद्ध सम्पूर्ण प्रदेश एवं सम्पूर्ण भारत के किसी भी राज्य अथवा किसी भी जनपद में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है। ना ही पूर्व में कभी रहा है (यदि हो तो विस्तृत सूचना उपलब्ध कराये)।



8. यदि ठेका प्राप्त करने के पश्चात मेरे/हमारे विरुद्ध ब्लैक लिस्ट/कार्यवाहियों/पंजीकरण निरस्त की कोई पूर्व अथवा वर्तमान की माफिया कार्यवाही गतिविधियों/असमाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के बारे में कोई शिकायत प्रमाणित पायी जाती है तो सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा कि वह मेरा/हमारा ठेका/अनुबन्ध निरस्त कर दें। इस पर मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरे द्वारा यदि विभाग/राज्य सरकार के विरुद्ध कोई अपराधिक कृत्य किया जाता है अथवा सरकारी धन का गबन किया जाता है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि मेरे/हमारे विरुद्ध अपराधिक मुकदमा नियमों के अन्तर्गत दर्ज करायें।

9. मैं/हम अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार समय से, पूरी गुणवत्ता के साथ तथा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप आवंटित कार्यों को पूरा करूंगा/करेंगे और मैं विभाग को पूरा सहयोग प्रदान करूंगा/करेंगे।

10. मेरा/हमारा कार्य एवं आचरण उत्तम है।

11. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरा स्थाई पता और अस्थायी पता निम्न प्रकार है:-

(अ) स्थायी पता (दूरभाष सहित)

(ब) अस्थायी पता (दूरभाष सहित)

(यहाँ पूरा पता दूरभाष सहित एवं पिन कोड सहित लिखा जाये)।

12. मैं/हम शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम उपरोक्त पते पर रहता हूँ/हैं तथा विभाग द्वारा प्रदान किये गये कार्य के पूरा होने पर मेरे किसी पते में सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में किसी पते में परिवर्तन होता है या कर्मचारियों की फर्म/कम्पनी में नियुक्ति या सेवानिवृत्ति होती है तो इसकी सूचना मैं तत्काल अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 और जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर को दूंगा। और श्रमिक विधि के समस्त नियमों का पालन करूंगा।

13. हम यह भी घोषणा करते हैं कि चल और अचल सम्पत्ति का हैसियत प्रमाण-पत्र जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर (जनपद का नाम लिखा जाये)द्वारा प्राप्त करके सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जा रही है। यह भी घोषणा करते हैं कि इस हैसियत प्रमाण-पत्र का उपयोग अन्य कार्यों के लिए नहीं किया गया है/कुल हैसियत में से ₹.....लाख का उपयोग लोक निर्माण विभाग में 'ए'श्रेणी में पंजीकरण हेतु किया गया है। उक्त हैसियत वर्तमान में यथावत् है तथा इसमें कोई खुर्द-बुर्द नहीं किया गया है।

14. मैं/हम यह भी आश्वस्त करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा विभाग में एक ही नाम से पंजीकरण हेतु आवेदन किया जा रहा है और किसी अन्य ठेकेदार/फर्म/कम्पनी जो इस विभाग में पूर्व से पंजीकृत है उनमें मेरी/हमारी कोई भागीदारी नहीं है। यदि ऐसा कुछ प्रमाणित होता है तो विभाग के द्वारा मेरा पंजीकरण एवं अनुबन्ध यदि कोई गतिमान हो तो निरस्त किया जा सकता है, एवं विभाग चाहे तो मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर सकता है जो मुझे मान्य होगी।



15. व्यक्तिगत/एकल स्वामी/कोई एक भागीदार/कम्पनी के निदेशक ।

1. बर्खास्त सरकारी कर्मचारी
2. ठेकेदारी पंजीकरण से निरस्त
3. ठेकेदारी पंजीकरण में अवनति
4. क्या कार्य व्यवसाय में सरकार के निरस्त/रोक/पूर्व या वर्तमान में लगाई गयी।
5. विधि के अधीन कभी दोष सिद्ध
6. सेवानिवृत्त इंजीनियरिंग/इंजीनियरिंग से सेवानिवृत्ति विगत एक वर्ष में।
7. किसी अन्य कम्पनी/फर्म में निदेशक या भागीदार है।
8. पार्लियामेन्ट सदस्य या अन्य लाभ के पद पर नियुक्त है।

हाँ / नहीं
हाँ / नहीं
हाँ / नहीं
हाँ / नहीं
हाँ / नहीं
हाँ / नहीं
हाँ / नहीं
हाँ / नहीं

16. लोक निर्माण विभाग या किसी अन्य विभाग में पूर्व से पंजीकृत है / नहीं है।

क्र.स.	श्रेणी एवं वर्ग	विभाग का नाम	पंजीकरण प्राधिकारी का नाम	पंजीकरण नं० एवं वैधता	वैधता तिथि	टेण्डर लिमिट

17. व्यक्तिगत/फर्म/कम्पनी पूर्व एवं वर्तमान साझेदारों एवं निदेशकों का विवरण।

क्र.स.	नाम	पता	मोबाइल नं०	आधार कार्ड	पेन नं०	कार्य/कम्पनी में प्रवेश की तिथि	फर्म/कम्पनी से सेवानिवृत्त तिथि	हस्ताक्षर
1								
2								
3								
4								
5								
वर्तमान में साझेदार/प्रोपराइटर एवं निदेशकों का विवरण								



मै अपनी पूर्ण जानकारी में, पूरे होशो-हवाश में, मस्तिष्क की अवस्था में स्वस्थचित से, पूरी सत्यनिष्ठा से तथा स्वेच्छा से यह शपथ-पत्र लिखकर दे रहा हूँ कि मेरे द्वारा पंजीकरण हेतु, जो भी अभिलेख दिये गये हैं, वह सही एवं सत्य हैं। यदि कोई अभिलेख गलत पाया गया तो विभाग को पूर्ण अधिकार होगा कि मेरा पंजीकरण निरस्त कर/ब्लैक लिस्ट (Black list) या डिबार (Debar) करें या अन्य अपराधिक फौजदारी अथवा दीवानी कार्यवाही मेरे विरुद्ध करें।

आज दिनांक.....माह.....वर्षस्थान पर ।

उपरोक्त कथनों का शपथपूर्वक सत्यापन किया गया है एवं नोटरी अधिवक्ता की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित किया गया है।

साक्षीगण (नाम एवं हस्ताक्षर)

1-.....

2-.....

दिनांक

शपथकर्ता का पूरा हस्ताक्षर

पूरा नाम-


पता-

- नोट:- 1. यह स्वघोषणा शपथ-पत्र ₹100/- (रु० एक सौ) के Stamp Paper पर नोटरी द्वारा साक्षियों की उपस्थिति में सत्यापित कराते हुए दिया जायेगा।
2. असत्य शपथ-पत्र देना एक संगीन और संज्ञेय अपराध है।
3. सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हों, शपथ-पत्र के ऊपर निर्धारित स्थान पर चस्पा किया जायेगा ।

पंजीकरण हेतु निम्न कर्मचारी/अधिकारियों का दायित्व:-

1. प्रमुख अभियन्ता कार्यालय में- पंजीकरण से सम्बन्धित पोर्टल पर पत्रावली सर्वप्रथम मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा देखकर सम्बन्धित वर्ग के वरिष्ठ प्रशासनिक/प्रशासनिक अधिकारी को स्थानान्तरित की जायेगी- जो कि वर्ग के अन्दर परीक्षण कर अपूर्ण होने की स्थिति में सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी को पोर्टल पर रिडाइरेक्ट करेंगे अथवा अग्रिम कार्यवाही करेंगे समस्त कार्यवाही 15 दिनों के अन्तर्गत पूर्ण करना है।
2. कमियों के निराकरण उपरान्त परिपत्र पूर्ण होने की दशा में सत्यापन हेतु आवश्यक प्रपत्र सम्बन्धित कार्यालयों को ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे एवं इस पर अनुश्रण करेंगे। सत्यापन प्राप्त होने तक 15 दिन की अवधि होगी।
3. सभी प्रपत्र का सत्यापन प्राप्त होने के पश्चात् विभिन्न स्तरों पर पंजीकरण की कार्यवाही 15 दिनों में पूर्ण करनी होगी। पंजीकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही सामान्य स्थिति में सेवा के अधिकार नियम के अन्तर्गत 45 दिनों में पूर्ण करनी होगी।

इस प्रकार क्षेत्रीय कार्यालयों/वृत्तीय कार्यालयों/खण्डीय कार्यालयों में भी उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।


कृ.सिंह असवाल
अधीक्षण अभियन्ता/
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (नियोजन)-II


प्रमुख अभियन्ता/एव विभागाध्यक्ष
लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड देहरादून

